संख्याः 2008 /45-वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभागः लखनऊः दिनांकः 18 जनवरी, 2016

विषयः प्रदेश के समस्त विभागों द्वारा ऊर्जा संरक्षण के उपायों को लागू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः35/2015/656/45-वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2015, दिनांक 02 जुलाई, 2015 द्वारा यूपीनेडा को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 में निहित प्राविधानों को उत्तर प्रदेश मंे क्रियान्वित कराये जाने हेतु स्टेट डेजीग्नेटेड एजेंसी (एस0डी0ए0) नामित किया गया है, जो ब्यूरो आॅफ इनर्जी इफिसिएन्सी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण के उपायों को लागू कराने के लिये कार्यरत है। सभी विभागों के विद्युत खपत एवं व्यय में कमी लाने के दृष्टिगत ऊर्जा संरक्षण के उपायों को लागू करना अत्यन्त आवश्यक है।

2- तद्नुक्रम में अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग में खराब लाइटों के स्थान पर एल0ई0डी0 लाइट तथा भविष्य में एल0ई0डी0 लाइट लगवाया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, ऊर्जा विकास अभिकरण, लखनऊ (यूपीनेडा)।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

देशराज
संयुक्त सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in